<u>न्यायालयः—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर—235103001672014</u> <u>व्यवहार वाद कं.—25ए/16</u> संस्थापित दिनांक—04.07.2014

1.इच्छाराम पुत्र चतुर्भज प्रसाद जाति ब्राह्मण आयु 70 साल निवासी ग्राम मोहनपुर हाल निवासी चंदेरी तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0।

....वादी

विरुद्ध

- 1.विमल पुत्र चम्पालाल राठौर जाति साहू आयु 55 साल निवासी दिल्ली दरवाजा के पास चंदेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0,
- 2.नरेश पुत्र चम्पालाल जाति साहू आयु 52 वर्ष निवासी दिल्ली दरवाजा के पास चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0,
- 3.बृजेश पुत्र चम्पालाल जाति साहू आयु 45 साल निवासी दिल्ली दरवाजा के पास चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

....प्रतिवादीगण

4.मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय नगरपालिका परिषद चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

..... फॉर्मल प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा श्री मुदगल अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 4 पूर्व से एकपक्षीय।

-// निर्णय//-<u>(आज दिनांक 28.01.2017 को घोषित)</u>

- 01. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध नगर पालिका सीमा चंदेरी वार्ड कमांक 06 कच्चे भवन कमांक 20 के अ, ब, स, द भाग के स्वत्व घोषणा एवं क, ख, ग, घ भाग (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।
- 02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के अनुसार विवादित भूमि उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग फिट है और जिसे रिजस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 3000 रुपये में कैलाश नारायण से उसने क्रय किया था और क्रय दिनांक से ही वह उस पर काबिज है। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण जबरन वादी की दीवार को गिराकर अवैध रूप से अ, ब, स, द भाग पर कब्जा करना चाहते हैं एवं क, ख, ग, घ भाग जो रास्ता है उसे बंद करना चाहते हैं और जिसके संबंध में उसने थाना प्रभारी चंदेरी को भी रिपोर्ट

की है। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि को अपना बताते हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने इस आशय की डिकी चाही है कि उसे उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जाए और साथ ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी ने कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है और इस कारण से वादी का वाद काल्पनिक आधार पर प्रस्तुत है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :—

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी नगर पालिका सीमा, चंदेरी के अंतर्गत वार्ड कमांक 6 में स्थित भवन कमांक 20 के संबंध में वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे के अ, ब, स, द भाग का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी घोषित करा पाने का अधिकारी है ?	''नहीं''
02.	क्या वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के रास्ते पर प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ?	''नहीं''
03.	यदि हो तो क्या वादी, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?	''नहीं''
04.	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है ?	''हां''
05.	सहायता एवं व्यय ?	"निर्णयानुसार वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।"

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 इच्छाराम, वा.सा. 02 दीनानाथ, वा.सा. 03 सुदामा एवं वा.सा. 04 भगवान सिंह की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और साथ ही आवेदन प्रपी 1, नक्शा प्रपी 02 एवं विक्रय पत्र प्रपी 03 अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 बृजेश राठौर, प्र.सा. 02 कैलाश नारायण एवं प्र.सा. 03 राजेश की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है और साथ ही भवन निर्माण स्वीकृति प्रडी 01, नक्शा प्रडी 02, प्रडी 03, विक्रय अनुबंध पत्र प्रडी 04 अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 04 एवं 05 का निराकरण पृथक से किया जा रहा है।

-:: वादप्रश्न कं. 01 लगायत 03 ::-

- वा.सा. 01 इच्छाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उसके द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी और वह तभी से उक्त विवादित भूमि पर मालिक एवं काबिज है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और उसे बेदखल करना चाहते हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसने जब दावा पेश किया था तब नक्शा भी पेश किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने आसपास की जमीन पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से दावा प्रस्तुत किया है। वा.सा. 02 दीनानाथ ने अपने कथन में बताया है कि वह वादी उसके पिता हैं और उसने शेष बातें अपने मुख्य परीक्षण में वा.सा. 01 के अनुसार बताई हैं। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि प्रकरण में दावे के साथ नक्शा पेश नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि नक्शे में कहीं भी अ, ब, स, द भाग नहीं डला है। इसी प्रकार वा.सा. 03 सुदामा ने अपने कथन में बताया है कि वह वादी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसे नहीं पता कि उसने किससे भूमि खरीदी थी तथा कितनी खरीदी थी। वा. सा. 04 भगवान सिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा वादपत्र में संलग्न नक्शा बनाया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने मौके पर नक्शा बनाकर वादी को दिया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने प्रपी 02 के नक्शे में संडास इच्छाराम के कहने से बनाया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने रजिस्ट्री के साथ संलग्न नक्शे का अध्ययन किया था जिसमें संडास नहीं बना था और इस बात को भी स्वीकार किया है कि मौके पर आज संडास नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि यदि उसके द्वारा रजिस्ट्री के नक्शे को देखकर प्रपी 02 का नक्शा बनाया जाता तो वह उक्त नक्शे में संडास नहीं बनाता।
- 09. प्रतिवादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें प्र.सा. 01 बृजेश राठौर ने अपने कथन में बताया है कि इच्छाराम ने उसकी बाखल में कैलाश प्रजापित से खंडहर मकान क्रय किया था जिसमें कोई संडास नहीं था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त मकान में कोई संडास नहीं था तथा जो संडास था वह उसका था। उक्त साक्षी के अनुसार वादी ने अकारण वाद पेश किया है तथा उसने कोई नक्शा भी पेश नहीं किया है। प्र.सा. 01 के अनुसार उनके द्वारा कभी भी वादी को उसके मकान पर आने जाने से नहीं रोका गया तथा उसका इच्छाराम की 300 वर्ग फिट भूमि से कोई मतलब नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने अपने नक्शे से हटकर जमीन दबा ली है। प्र.सा. 02 कैलाश नारायण ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा इच्छाराम को भूमि विक्रय की गई थी जिसमें कोई संडास नहीं था। प्र.सा. 03 राजेश ने अपने कथन में बताया है कि वह वादी एवं प्रतिवादी बृजेश राठौर को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार वादी खंडहर मकान में कभी नहीं रहा तथा उसमें कच्ची संडास बनी हुई थी जिसका कोई उपयोग नहीं करता था।
- 10. वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि वा.सा. 04 द्वारा प्रकरण में नक्शा बनाया गया है तथा उक्त साक्षी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उसने नक्शा विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे के आधार पर नहीं बनाया है। उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने वादपत्र में

विवादित भूमि भवन क्रमांक 20 के अ, ब, स, द भाग एवं क, ख, ग, घ भाग से बताया है, किंत् वादी ने अपने वादपत्र के साथ नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है। वादी ने साक्ष्य के समय नक्शा अभिलेख पर प्रस्तुत किया है, किंतु उक्त नक्शा वा.सा. 04 द्वारा बनाया गया है। वादी ने जो विक्रय पत्र प्रपी 03 अभिलेख पर प्रस्तृत किया है उसके साथ कोई संलग्न नक्शा नहीं है। वादी की साक्ष्य से ही प्रपी 02 का नक्शा वा.सा. 04 द्वारा अपनी मर्जी से बनाया जाना प्रकट हो रहा है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने नक्शे में संडास वादी के कहने पर बनाया है। वादी ने जो नक्शा प्रपी 02 प्रस्तुत किया है वह वा.सा. 04 की साक्ष्य के अनुसार न केवल मर्जी से बनाया जाना प्रकट हो रहा है, बल्कि प्रपी 02 के नक्शे से विवादित स्थल की वस्तुस्थिति भी स्पष्ट नहीं हो रही है। वादी की ओर से नगरपालिका का कोई नक्शा भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रपी 03 से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। किसी भी प्रकरण में वादी को अपना वाद प्रमाणित करने का भार रहता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि वादी नक्शा प्रपी 02 के अ, ब, स, द भाग का स्वत्वाधिकारी है। प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उनके द्वारा वादी की आधिपत्य की भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तृत की गई है उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य की भूमि में हस्तक्षेप किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी न केवल विवादित स्थल की स्थिति स्पष्ट करने में असफल रहा है, बल्कि वादी यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा उसके आधिपत्य की भूमि में हस्तक्षेप किया जा रहा है। परिणामतः वादप्रश्न क्रमांक ०१ लगायत ०३ नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-04</u> ::-

11. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है। वादी ने जो न्यायशुल्क चस्पा किया है वह न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना प्रकट हो रहा है। परिणामतः वाद प्रश्न कमांक 04 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-05</u> ::-

- 12. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।
- 13. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर